

3396
25/8/010

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कमांक प.1(20)वन / 2003

जयपुर, दिनांक: 20 AUG 2010

परिपत्र

खनन हेतु जारी किये जाने वाले पट्टे वन क्षेत्र या इसकी वर्जित सीमा में तो नहीं है यह सुनिश्चित किये जाने हेतु खान विभाग द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी चाही जाती है। यह देखते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में वन भूमि के रूप में उन सभी क्षेत्रों को माना है जो या तो जो शब्द कोष के अनुसार वन भूमि की परिभाषा में आते हैं एवं वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो वैधानिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र है या राजकीय दस्तावेज में वन वर्ज है चाहे उसका मालिकाना हक किसी का भी हो, खान विभाग द्वारा वांछित जानकारी दिये जाने में अनपेक्षित विलंब नहीं हो एवं कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं रहे इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि :—

- उपवन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी वन विभाग द्वारा समय-समय पर राजकीय वन भूमि संबंध जारी अधिसूचनाओं में वर्णित वन भूमि का विवरण खनिज अभियन्ता / सहायक खनिज अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
- उपवन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण के माध्यम से विकसित क्षेत्रों एवं वन संरक्षण अधिनियम के अधीग धासिपूर्ति वृक्षारोपण बाबत वन विभाग को आवेदित वन भूमि वी सूची भी समय समय पर खान विभाग को उपलब्ध कराई जावे।
- खनिज अभियन्ता / सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा खनन प्रदृष्टा हेतु भूगो चयन करते समय ऊपर वर्णित सूचियों एवं पूर्व में वन विभाग द्वारा प्रमाणित जी.टी.शी.ट.स जिसमें वन भूमि दर्शायी गयी है को देखकर यह विनिश्चयन किया जावे कि प्रस्तावित भू-स्थल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि के 500 मीटर की परिधि में आता है या नहीं। यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन भूमि की 500 मीटर की परिधि में आता है तो प्रकरण प्रतिवेदन हेतु वन विभाग को संदर्भित किया जावे।
- वन विभाग को जानकारी प्रेषित किये जाने एवं प्रकरणों के निष्पारण हेतु आगे उल्लेखित प्रक्रिया आपनाई जावे।

खान विभाग द्वारा वन विभाग से जानकारी चाहने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों ने आवेदित क्षेत्र के संबंध में निम्न सूचनाएँ अवश्य उपलब्ध कराई जावे :—

- प्रस्तावित खनन क्षेत्र का संदर्भित विवरण प्रलोक मीलारे का (Longitude / Latitude/ Altitude) जी.पी.एस. ऐड्रेस।
- प्रस्तावित खनन क्षेत्र को मय सड़क एवं परिवहन मार्ग के साथ दर्शाते हुए 1:50,000 स्केल की जी.टी.शीट।

19/8/10

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र को संबंधित खसरा मैप पर सुपर इम्पोज कर उसकी स्थिति दर्शाते हुए नक्शा।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नवीनतम जगा बन्दी की प्रति।

5. संबंधित मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक के नाम 1000/- रूपये का डी.डी।

खान विभाग से प्राप्त प्रस्तावों का समय बद्धता के साथ निर्संतारण हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की अनुपालना आवश्यक होगी:-

1. खनिज अभियन्ता / सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी को प्रतिवेदन बाबत पत्र प्रेषित करते हुए अग्रेषण पत्र की एक प्रति संबंधित मुख्य वन संरक्षक को पाठ्यांकित की जावे।

2. उपवन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का अधिकतम 45 दिवस की अवधि में प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे। ऐसा न किये जाने की स्थिति में कम से कम एक सप्ताह पूर्व विलम्ब के कारणों सहित मुख्य वन संरक्षक एवं खनिज अभियन्ता को लिखित सूचना दी जावे।

3. मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक द्वारा प्रत्येक माह में निश्चित दिनांक को खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता के साथ खान विभाग से उस दिन से दो दिन पूर्व तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करने हेतु बैठक आयोजित की जावे। बैठक में ऐसे लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में संयुक्त निरीक्षण का कार्यक्रम भी तय करेंगे जिसमें संयुक्त निरीक्षण अपेक्षित प्राया जाता है या आवश्यक होना निर्धारित है।

4. मौका निरीक्षण करते समय प्रस्तावित क्षेत्र का जी.पी.एस.एड्रेस के अनुसार विनिश्चयन सुनिश्चित किया जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उसका व्यौरा दिया जावे।

5. यदि प्रस्तावित क्षेत्र, वन सीमा से 100 मीटर तक की दूरी में या उससे लगते हुए अवस्थित है तो ऐसी स्थिति में खान एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करना तथा आवेदित क्षेत्र के सीमा विवरण अनुसार मौके पर सीमा स्तरों का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य होगा। मौका निरीक्षण के दौरान ऐसे क्षेत्र के मीनारों की स्थिति की फोटोग्राफी (जिसमें पिलर व संयुक्त टीम को भी दर्शाया गया हो), की जाये एवं फोटोग्राफ की एक प्रति खान विभाग एवं एक प्रति वन विभाग में संधारित की जावे।

6. यदि कोई खान, वन सीमा से 100 मीटर की परिधि में प्रस्तावित की गयी है तो इसका निरीक्षण कम से कम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि प्रस्तावित खान वन सीमा से 50 मीटर के भीतर प्रस्तावित की गयी है तो उसका निरीक्षण कम से कम उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. यदि प्रस्तावित खान वन सीमा से 100 मीटर की परिधि में अवस्थित है तो यह शर्त अवश्य रखी जावे कि खनन कार्य आरम्भ करने से पूर्व खननकर्ता द्वारा वन सीमा की ओर वाली खान की सीमा पर पक्की दीवार का निर्माण कराने के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

Pran
19/8/10

8. छोटी खाने यथासम्भव कलस्टर में प्रस्तावित की जावे तथा जब भी कलस्टर में खाने आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया जावे तो उसकी संकलित सीमाओं का विवरण दिया जावे। इस प्रकार संपूर्ण कलस्टर बाबत् वन विभाग द्वारा रिपोर्ट दे देने के बाद उस कलस्टर के आवेदन पत्रों पर अलग से प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं होगा।

इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक रहेगा :—

1. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा संलग्न किये जा रहे संलग्न प्रपत्र में ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे।
2. खनन पट्टा नवीनीकरण के ऐसे प्रकरणों, जिनमें खान विभाग द्वारा खनन पट्टा जारी करने से पूर्व वन विभाग से प्रतिवेदन पूर्व में लिया जा चुका है, में वन विभाग से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ये दिशानिर्देश खान विभाग के साथ प्रागर्भ से एवं इस बाबत् पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए प्रचलित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मेर ११/४/१०
(डॉ. वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, द्वारा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक।
5. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
6. समस्त उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

जौम
अतिरिक्त शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

६८१-४७०

क्रमांक :एफ 14(एनओसी सर्कुलर)०६ / वसु / प्रमुखसं/ दिनांक १६-७-१०
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (T.R.E.E.) राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज०, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राज०, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (A.A.P.) राज०, जयपुर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
6. समस्त मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक।
7. रक्षित पत्रावली।

*अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
दानसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।*

वन भूमि / वृक्षारोपण क्षेत्र संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट

खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता द्वारा उनके पत्रांक दिनांक द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार खनन पट्टा संख्या हेतु पृष्ठांकित भूमि ग्राम के खसरा नं. में पड़ती है।

आवेदित क्षेत्र की सीमांचल रिथिति (जी.पी.एस.रिडिंग) निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	बिन्दु संख्या	लेटीट्यूट	लॉगीट्यूट	एलटीट्यूट
1				
2				
3				
4				
5				
6				

उक्त आवेदित क्षेत्र का वनभूमि / वनारोपण क्षेत्र संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

- आवेदन क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र है।*
या
- आवेदित क्षेत्र वनक्षेत्र नहीं है किन्तु वन सीमा से मीटर दूर होने के कारण खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र है।*
या
- आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है किन्तु यहो वृक्षारोपण किया हुआ है। अतः राज्य सरकार के प्रियपत्र संख्या प.1(4)वन/96 पार्ट दिनांक 02.09.2006 की अनुपालना अपेक्षित है।*
या
- आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान / वन्यजीव अभ्यारण्य / कम्यूनिटी रिजर्व / कन्जर्वेशन रिजर्व / ईको सेन्सिटिव जोन / कोरिडोर क्षेत्र / में होने से खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र है।*
या
- आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं है।*

नोट :- “*” में से जो लागू हो उसे रखते हुए शेष को काट दिया जावे।

दिनांक

गण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक


19/8/10